न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 53/ 2017 जिला अलवर

1. गिर्राज पुत्र हरचन्द, जाति माली, निवासी नाहरखोरा, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर, राजस्थान (मृतक) जरिये वारिसान :–

1/1 श्रीमती बसन्ती बेवा गिर्राज

1/2 रामवतार पुत्र गिर्राज

1/3 रमेश पुत्र गिर्राज

1/4 चन्दा पुत्री गिर्राज

1/5 चमेली पुत्री गिर्राज

1/6 चन्द्रवती पुत्री गिर्राज, जाति माली, निवासी नाहरखोरा, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर (राजस्थान)

2. हजारी लाल पुत्र हरचन्द, जाति माली, निवासी नाहरखोरा, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर (राजस्थान)

अपीलान्टान

बनाम

मु. धन्नी बाई पुत्री गोकुल बेवा सुग्गाराम, जाति सैनी, निवासी रामबास, तहसील गोविन्दगढ, जिला अलवर (राजस्थान)

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार लक्ष्मणगढ, जिला अलवर दिनांक 27.7.2017

उपस्थित–

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

1. वकील अपीलान्ट श्री विजय सिंह राठौड

2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री मुकेश शेरावत

निर्णय

दिनांक– 27.3.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार लक्ष्मणगढ, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 27.7.2017 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 4.12.2017 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम नाहर खोहरा, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर स्थित आराजी खसरा नम्बर 224, 225, 226, 227, 228, 260, 273, 274, 294, 295, 296, कुल किता 11 कुल रकबा 16 बीघा 5 बिस्वा व आराजी खसरा नम्बर 322, 289, 390

Scanned by CamScanner

किता 3 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा में से 1/4 हिस्से का खातेदार नन्नु पुत्र गोकुल कौम माली था । खातेदार नन्नु पुत्र गोकुल के लावल्द फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 269 हरचन्द पुत्र श्योजी, छाजू पुत्र धूली, मु. छोटी बेवा लक्ष्मण के नाम बहिस्सा बराबर का तहसीलदार लक्ष्मणगढ, जिला अलवर द्वारा दिनांक 20.4.1995 को तस्दीक किया गया । तहसीलदार लक्ष्मणगढ के उक्त आदेश दिनांक 20.4.1995 से व्यथित होकर मृतक नन्नु की बहिन मु. धन्नी बाई पुत्र गोकुल द्वारा अपील न्यायालय अति. जिला कलक्टर अलवर के न्यायालय में पेश की, जो उनके निर्णय दिनांक 29.8.1997 से विरासत का इन्तकाल ग्रम पंचायत द्वारा फैसल किये जाने की बजाय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर फैसल किये जाने से प्रकरण में पुनः जॅाच करवाया जाना उचित समझते हुये स्वीकार की जाकर इन्तकाल संख्या 269 दिनांक 20.4.1995 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार लक्ष्मणगढ को मृतक के वारिसान बाबत विस्तृत जॅाच की जाकर तथा पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाकर नियमानुसार विधि एवं प्रकिया के अनुरूप पुनः नामांतरकरण का निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया । अति. जिला कलक्टर अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 29.8.1997 से व्यथित होकर अपीलान्ट गिर्राज पुत्र हरचन्द वगैहरा द्वारा अपील न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की, जो निर्णय दिनांक 20.10.2000 द्वारा स्वीकार की जाकर अति. जिला कलक्टर अलवर का आदेश दिनांक 29.8.1997 निरस्त किया जाकर तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 269 दिनांक 20.4.1995 को यथावत रखा गया । अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 20.10.2000 के खिलाफ मु. धन्नी बाई द्वारा निगरानी माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई जसमें माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निर्णय दिनांक 9.11.2004 को पारित कर द्वितीय अपीलीय न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर के आदेश दिनांक 20.10.2000 को निरस्त करते हुये प्रथम अपीलीय न्यायालय अति. जिला कलक्टर अलवर के आदेश दिनांक 29.8.1997 को बहाल रखते हुये प्रकरण प्रथम अपीलीय न्यायालय अति. जिला कलक्टर अलवर के आदेश दिनांक 29.8.1997 की पालना में कार्यवाही करने के निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया ।

हस्ता./ अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 9.11.2004 की अनुपालना में पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर निर्णय दिनांक 27.7.2017 ग्रम पंचायत रामबास एवं ग्रम पंचायत नाहरखोहरा द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्रों से मु. धन्नी बाई को मृतक गोकुल की पुत्री होना तथा मृतक नन्नू व दुर्जन की सगी बहन होने की पुष्टि होना, ग्रम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं मौखिक साक्ष्य से यह भी स्पष्ट होना कि गोकुल के दो पुत्र नन्नू व दुर्जन एवं एक पुत्री मु. धन्नी बाई हुये थे । चूंकि नन्नू एवं दुर्जन पुत्रान गोकुल लावल्द फौत हो चुके हैं तथा मु. धन्नी बाई मृतक गोकुल की पुत्री एवं मृतक नन्नू की सगी बहिन है इसलिये हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम

Scanned by CamScanner

के तहत मु. धन्नी बाई मृतक नन्नू की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है । अप्रार्थीगण को लगातार 22 बार साक्ष्य एवं सबूत पेश करने के अवसर दिये जाने के बावजूद भी अप्रार्थीगण की ओर से कोई दस्तावेजी/ मौखिक ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई जिससे प्रार्थिया द्वारा पेश किये गये दस्तावेज/ वारिस प्रमाण पत्र एवं मौखिक साक्ष्यों का कोई खण्डन होता हो । पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों की रोशनी में मृतक नन्नू पुत्र गोकुल जाति माली की विरासत का इन्तकाल मु. धन्नी बाई पुत्री गोकुल बेवा सग्गाराम जाति माली, निवासी रामबास के नाम दर्ज किया जाकर स्वीकार किया जाना विधिसम्मत मानते हुये अति. जिला कलक्टर अलवर के आदेश दिनांक 29.8.1997 के आदेशानुसार इन्तकाल संख्या 269 आदेश दिनांक 20.4.1995 वाके ग्राम नाहरखोहरा निरस्त किया गया तथा मृतक नन्नू पुत्र गोकुल जाति माली, निवासी नाहरखोहरा की विरासत का विरासतन नामांतरकरण प्रार्थिया मु. धन्नी बाई पुत्री गोकुल बेवा सुग्गाराम जाति माली, निवासी रामबास के नाम स्वीकार किया गया ।

तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला अलवर के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.7.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट गिर्राज व हजारी द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार लक्ष्मणगढ दिनांक 27.7.2017 निरस्त करते हुये इन्तकाल संख्या 269 दिनांक 20.4.1995 बहाल रखे जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.7.2017 की जानकारी अपलान्ट्स को नहीं थी क्योंकि अपीलान्ट काफी वृद्ध व्यक्ति होने से चलने फिरने में असमर्थ है । पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 19.11.2017 को बताने पर कि इन्तकाल संख्या 269 का निर्णय रेस्पोंडेन्ट धन्नी के पक्ष में हो गया है । इस पर अपीलान्ट ने यादराम सैनी को समस्त जानकारी लेने हेतु तहसीलदार लक्ष्मणगढ के कार्यालय में भेजा , जहॉ से उन्होनें ने अपीलाधीन आदेश की सत्य प्रतिलिपि दिनांक 20.11.2017 को प्राप्त की एवं इन्तकाल संख्या 269 की नकल प्राप्त करने के पश्चात् मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ यह अपील प्रस्तुत की है । अतः न्यायहित में विलम्ब को क्षमा किया जावे । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स को नोटिस नहीं दिये तथा ना ही उनकी विधिवत तामिल कराई गई । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 व 4 छाजू व छोटी का स्वर्गवास दिनांक 2.12.2009 एवं 1.6.2004 को हो चुका था तथा इसकी जानकारी रेस्पोंडेन्ट को होने पर भी उनके वारिसान को रिकार्ड पर नहीं लिया गया और मृत व्यक्तियों के खिलाफ अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि मु. धन्नी ने कभी भी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

होकर बयान नहीं दिया और धन्नी पुत्री गोकुल है , के संबंध में भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये । ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें अन्य सदस्यों ने हस्ताक्षर करने से माना करते हुये दबाव में जारी किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने मु. धन्नी को गोकूल की पुत्री एवं नन्नू की बहन होना एकतरफा में मानने में विधिक त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय अपीलान्ट्स को बिना सुने पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गवाह रघुवीर को प्रस्तुत किया था, जो मु. धन्नी का लडका है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उस पर विश्वास करते हुये अपीलधीन आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है । रेस्पोंडेन्ट धन्नी यदि गोकुल की पुत्री थी तो अपने पिता की विरासत के नामांतरकरण, जो नन्नू व दुर्गा के नाम दर्ज हो गया था, को आज तक चुनौती क्यों दी गई तथा अब नन्नू की विरासत के नामांतरकरण को चेलेन्ज कर विवादित आराजी में हिस्सा प्राप्त करना चाहती है जबकि इन्ताकल संख्या 269 पूर्ण जॉच करने के पश्चात् मृतक नन्नू की विरासत का हरचन्द पुत्र श्योजी, छाजू पुत्र धूली , मु. छोटी बेवा लक्ष्मण के नाम बहिस्सा बराबर का तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला अलवर द्वारा दिनांक 20.4.1995 को सही रूप से तस्दीक किया था , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर कोई गोर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार लक्ष्मणगढ दिनांक 27.7.2017 निरस्त किया जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 269 दिनांक 20.4.1995 बहाल रखे जावे ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि मृतक नन्नू पुत्र गोकुल विवादित भूमि में 1/4 हिस्से का खातेदार था तथा लावल्द फौत हुआ था । रेस्पोंडेन्ट मु. धन्नी बाई गोकुल की पुत्री एवं मृतक खातेदार नन्नू की सगी बहिन है । तहसीलदार लक्ष्मणगढ ने रेस्पोंडेन्ट धन्नी के भाई नन्नू की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 269 दिनांक 20.4.1995 को वारिसान की विधिवत जॉच किये बिना तस्दीक किया था । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक करने से पूर्व रेस्पोंडेन्ट धन्नी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य न्यायिक रूप से आवश्यक था । प्रश्नगत नामांतरकरण की जानकारी रेस्पोंडेन्ट को होने पर उसके खिलाफ अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ न्यायालय अति. जिला कलक्टर अलवर को प्रस्तुत की थी , जो अति. जिला कलक्टर अलवर ने निर्णय दिनांक 29.8.1997 द्वारा स्वीकार करते हुये नन्नू के वारिसान बाबत जॉच कर पुनः निर्णय हेतु प्रकरण तहसीलदार लक्ष्मणगढ को प्रतिप्रेषित किया गया था । अति. जिला कलक्टर अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 29.8.1997 के खिलाफ अपीलान्ट की अपील अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 20.10.2000 द्वारा स्वीकार करते हुये अति. कलक्टर अलवर का निर्णय दिनांक 29.8.1997 निरस्त किया जाकर नामांतरकरण संख्या 269 दिनांक

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

20.4.1995 बहाल रखा गया तथा अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 20.10.2000 के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट मु. धन्नी की निगरानी माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 9.11.2004 से स्वीकार की जाकर अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर का निर्णय निरस्त करते हुये प्रथम अपीलीय न्यायालय अति. कलक्टर अलवर के निर्णय दिनांक 29.8.1997 को बहाल रखते हुये इस निर्देश के साथ प्रकरण रिमाण्ड किया गया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश दिनांक 20.8.1997 की पालना में कार्यवाही करें । उनका कहना था कि माननीय राजस्व मण्डल तक रेस्पोंडेन्ट धन्नी की निगरानी स्वीकार हुई है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों पर गोर कर विधिवत वारिसान की जॅाच की जाकर तथा पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने के समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.7.2017 से इन्ताकल संख्या 269 दिनांक 20.4.1995 निरस्त किया जाकर मृतक खातेदार नन्नू पुत्र गोकुल की विरासत का नामांतरकरण मु. धन्नी बाई पुत्री गोकुल बेवा सुग्गाराम जाति माली निवासी रामबास के नाम स्वीकार किये जाने का पारित किया है । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में उचित एवं विधिसम्यक है तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद विवादित भूमि के मृतक खातेदार नन्नू पुत्र गोकुल की विरासत का है । तहसीलदार लक्ष्मणगढ ने नन्नू पुत्र गोकुल के लावल्द फौत होने से विरासत का नामांतरकरण संख्या 269 दिनांक 20.4.1995 मृतक खातेदार नन्नू की बहिन रेस्पोंडेन्ट मु. धन्नी को छोडते हुये हरचन्द पुत्र श्योजी, छाजू पुत्र धूली, मु. छोटी बेवा लक्ष्मण के नाम तस्दीक किया था । प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ मु. धन्नी की अपील न्यायालय अति. कलक्टर अलवर के निर्णय दिनांक 29.8.1997 द्वारा स्वीकार होकर प्रकरण तहसीलदार लक्ष्मणगढ को मृतक के वारिसान बाबत विस्तृत जॅाच की जाकर तथा पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाकर नियमानुसार निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया था । माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष मु. धन्नी बाई की अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 20.10.2000 के खिलाफ निगरानी निर्णय दिनांक 9.11.2004 द्वारा स्वीकार की जाकर अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर का आदेश निरस्त करते हुये प्रथम अपीलीय न्यायालय अति. कलक्टर अलवर के आदेश दिनांक 29.8.1997 को बहाल रखते हुये प्रकरण रिमाण्ड किया गया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश दिनांक 29.8.1997 की पालना में कार्यवाही करें । तहसीलदार लक्ष्मणगढ ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के उक्त निर्णय की पालना में अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.7.2017 पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर ग्राम पंचायत रामबास एवं ग्राम पंचायत

चित्रा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned by CamScanner

नाहरखोहरा द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्रों से मु. धन्नी बाई मृतक गोकुल की पुत्री होना तथा मृतक नन्नू व दुर्जन की सगी बहन होने की पुष्टि होना , ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं मौखिक साक्ष्य से यह भी स्पष्ट होना कि गोकुल के दो पुत्र नन्नू व दुर्जन एवं एक पुत्री मु. धन्नी बाई हुये थे । चूंकि नन्नू एवं दुर्जन पुत्रान गोकुल लावल्द फौत हो चुके हैं तथा मु. धन्नी बाई मृतक गोकुल की पुत्री एवं मृतक नन्नू की सगी बहिन है इसलिये हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मु. धन्नी बाई मृतक नन्नू की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है । अप्रार्थीगण को लगातार 22 बार साक्ष्य एवं सबूत पेश करने के अवसर दिये जाने के बावजूद भी अप्रार्थीगण की ओर से कोई दस्तावेजी/ मौखिक ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई जिससे प्रार्थिया द्वारा पेश किये गये दस्तावेज/ वारिस प्रमाण पत्र एवं मौखिक साक्ष्यों का कोई खण्डन होता हो । पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों की रोशनी में मृतक नन्नू पुत्र गोकुल जाति माली की विरासत का इन्तकाल मु. धन्नी बाई पुत्री गोकुल बेवा सग्गाराम जाति माली निवासी रामबास के नाम दर्ज किया जाकर स्वीकार किया जाना विधिसम्मत मानते हुये अति. जिला कलक्टर अलवर के आदेश दिनांक 29.8.1997 की पालना में इन्तकाल संख्या 269 व आदेश दिनांक 20.4.1995 वाके ग्राम नाहरखोहरा निरस्त किया गया तथा मृतक नन्नू पुत्र गोकुल जाति माली, निवासी नाहरखोहरा की विरासत का विरासतन नामांतरकरण प्रार्थिया मु. धन्नी बाई पुत्री गोकुल बेवा सुग्गाराम जाति माली निवासी रामबास के नाम स्वीकार किये जाने का निर्णय पारित किया है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय उपरान्त तहसीलदार लक्ष्मणगढ, जिला अलवर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.7.2017 पारित कर प्रश्नगत इन्तकाल संख्या 269 व आदेश दिनांक 20.4.1995 वाके ग्राम नाहरखोहरा निरस्त करते हुये मृतक नन्नू पुत्र गोकुल जाति माली, निवासी नाहरखोहरा की विरासत का नामांतरकरण मृतक नन्नू की बहिन होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होने से प्रार्थिया मु. धन्नी बाई पुत्री गोकुल बेवा सुग्गाराम जाति माली, निवासी रामबास के नाम स्वीकार किये जाने निर्णय किया है । हम समझते हैं कि रेस्पोंडेन्ट मु. धन्नी बाई मृतक खातेदार नन्नू की बहिन होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में विधिक वारिस है एवं अपने भाई नन्नू की भूमि में हक प्राप्त करने की विधिक अधिकारिणी है । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ ने अपीलाधीन आदेश दिनाक 27.7.2017 द्वारा मृतक नन्नू की विरासत का नामांतरकरण उसकी बहिन रेस्पोंडेन्ट मु. धन्नी बाई के नाम स्वीकार किये जाने पारित करने में कोई विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होने से इसमें हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने

Scanned by CamScanner

से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अति. सम्भागीय आयुक्त

जयपुर

Scanned by CamScanner